मध्यप्रदेश विधान सभा

दिसम्बर, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 (अग्रहायण 21, 1936)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (बी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार -

(क) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, मध्यप्रदेश का 41 वां एवं 42 वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 तथा 2009-2010,

(ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 2011-2012 (1 जुलाई, 2011 से 30 जून 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष का) एवं वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 (1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष का), तथा

(ग) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 41 वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2012 से 30 जून, 2013),

पटल पर रखेंगे.

(3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार -

(क) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 49 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 2009-2010, तथा

(ख) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 50 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2011-2012,

पटल पर रखेंगी.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री -

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014, तथा

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1838-म.प्र.वि.नि.आ.-2014 दिनांक 25 नवम्बर, 2014,

पटल पर रखेंगे.

(5) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार -

(क) जे.पी. सीमेंट फैक्ट्री, रीवा में विंध्या द्वार पर गोली बारी से घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन 15 जुलाई, 2011 द्वारा सुश्री सुषमा खोसला, एकल सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल शासन के संकल्प सहित, तथा

(ख) दिनांक 13 अक्टूबर, 2013 को दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील अंतर्गत रतनगढ़ माता मंदिर में श्रद्धालुओं के पुल पार करते समय भगदड़ के कारण घटित दुर्घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन 20 मार्च, 2014 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश सक्सेना, एकल सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर शासन के संकल्प सहित,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, ग्वालियर संभाग के जिलों में ओला एवं शीतलहर से नष्ट फसल के मुआवजा वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, धार जिले के आदिवासी कन्या छात्रावास में छात्रा की मौत होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले में रेत की नीलामी बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल के सघन आबादी वाले क्षेत्र में मोबाईल टॉवर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, उज्जैन संभाग में बगैर मान्यता के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले के इको सेंटर से सलापुरा तक नाले के निर्माण में अनियमितता होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के चंबल नदी में नाव पलटने से कई लोगों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर क्षेत्र में चकबंदी किये जाने से व्यवहारिक कठिनाईयां होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(9) श्री उमंग सिंघार, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मध्य प्रदेश भण्डार गृह निगम द्वारा गेहूं भण्डारण के नाम पर भ्रष्टाचार किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, प्रदेश में बासमती धान का उचित मूल्य न मिलने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य, भिण्ड जिले के फूफ चौकी से सरसों के तेल का अवैध परिवहन होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) सर्वश्री जितू पटवारी, दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, उज्जैन जिले के नागदा ग्रेसिम मिल के श्रमिकों को समझौते अनुरूप लाभ न दिये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री कालूसिंह ठाकुर, सदस्य, धरमपुरी क्षेत्र में नहर निर्माण में अनियमितता होने की ओर राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, बलवीर सिंह डण्डोतिया, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम उरहेटा में एक व्यापारी की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री मोती कश्यप, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) प्रस्तुत करेंगे.

5. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य, धार जिले के-
- (क) ग्राम कापसी में बागनी नदी पर पुल निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम फिफेड़ा के बयड़ीपुरा में तालाब निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम फिफेड़ा के कलमी फाटा बोरिंग सबमर्सिबल पंप व पाईप लाईन बिछाये जाने,
- (घ) ग्राम अमलाल व देवझिरि मार्ग पर पुलिया निर्माण किये जाने, तथा
- (ड.) ग्राम मालीपुरा में तालाब निर्माण किये जाने,

(2) श्री दिनेश राय "मुनमुन", सदस्य, सिवनी जिले में-
- (क) कृषकों को ओला वृष्टि का मुआवजा दिलाये जाने,
- (ख) पेंच परियोजना के लिये अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,
- (ग) खवासा बेरियर में अवैध वसूली रोके जाने,
- (घ) अवैध खदानें एवं अवैध उत्खनन को रोके जाने,
- (ड.) बंजारीघाट (छपारा) में फोर लेन मार्ग निर्माण किये जाने,
- (च) बघेल (बागरी) समाज के लोगों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने,
- (छ) अघोषित विद्युत कटौती को बंद किये जाने,
- (ज) ग्राम लखनवाड़ा बैनगंगा नदी की गोलाई (टर्न) को सीधा किये जाने, तथा
- (झ) ग्राम कलारबाँकी पेंच नहर को निर्माण किये जाने,

(3) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर, सदस्य, खण्डवा जिले के-
- (क) ग्राम मोकलगांव में पुलिया की मरम्मत किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम बड़ोदा अहीर में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था किये जाने,

(4) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम भमरा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,तथा

(5) डॉ. गोविंद सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम बरहा की नहर की पुलिया निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय 1 घन्टा 30 मि. (शेष 1 घन्टा)

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध पर चर्चा का पुनर्ग्रहण.

8. अशासकीय संकल्प

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि ग्वालियर-चंबल संभाग के अंतर्गत बीहड़ों को विकसित एवं समतलीकरण किया जाय एवं बीहड़ भूमि के क्रय/विक्रय पर पंजीयन शुल्क उपजाऊ भूमि से कम निर्धारित किया जाय.".

(2) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि ए.पी.एल. कार्ड धारकों को कैरोसिन उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम/नगर पंचायत स्तर पर कैरोसिन की फ्री सेल दुकानों का संचालन किया जावे. ".

(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

50 मि. "सदन का यह मत है कि मौसम की मार के कारण नष्ट होने वाली फसलों के मुआवजे में अफीम की फसल के कृषकों को भी शामिल किया जाय. ".

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 11 दिसम्बर, 2014